

पत्रांक 15/जी 1-01/2012 - 259

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

प्रेषक,

एस0 एम0 करीम,
निदेशक (उच्च शिक्षा)।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक 09/2/2015


विषय:- अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरित शिक्षकों के ढकाया वेतनादि के भुगतान हेतु उनके स्थानान्तरित विश्वविद्यालय को राशि वापस करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों का अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण हो रहा है और उनके वेतनादि भुगतान हेतु अनुरोध विभाग को प्राप्त होता है। ऐसा स्थानान्तरण वित्तीय वर्ष के मध्य में भी होता है। ऐसी स्थिति में स्थानान्तरित शिक्षकों के वेतन मद की राशि उनके पैतृक विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाती है। अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरित शिक्षकों के वेतन हेतु विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गई अनुदान राशि उनके वर्तमान में पदस्थापित विश्वविद्यालय को उपलब्ध नहीं करायी जाती है, जिससे स्थानान्तरित शिक्षकों का वेतन लम्बित रह जाता है।

अतः अनुरोध है कि अन्तर विश्वविद्यालय स्थानान्तरित शिक्षकों के वेतन हेतु विमुक्त राशि उनके वर्तमान में पदस्थापित विश्वविद्यालय को शीघ्र उपलब्ध करा दी जाए, ताकि उन शिक्षकों के लम्बित वेतन का भुगतान हो सके।

विश्वासभाजन,



(एस0 एम0 करीम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

राज्य